

# जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समस्त पत्र न्यूझहारे कुलसंचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे न कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।  
सम्बोधित विषय पर यदि पूर्व में पत्र न्यूझहारे हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे स्पष्टिगा हो।



प्राप्त : शूनीयसेटी  
दूरभाष : 0091-(0751) 2442801  
(कार्यालय)  
2442462 (निवास)  
फैक्ट्स : (0091-0751-2341768  
E-mail : jureg\_gwl@rediffmail.com  
Website : <http://www.jiwaji.edu/>

प्रेषक :-  
कुलसंचिव,  
जीवाजी विश्वविद्यालय  
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2011/ 4477

दिनांक : 27/01/12

## // अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 19 मई, 2011 के पद क्रमांक (02) के विर्यानुसार जी.आर. मेडीकल कॉलेज, ग्वालियर को सत्र 2009-10 के लिये प्रस्तावित/संचालित डिप्लोमा इन डायलेसिस एवं विभिन्न विषयों पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती हैं।

### शर्तों/प्रतिबंध :-

- वर्तमान 28(17) में नियुक्त शिक्षकों की नियुक्ति स्वमेव निरस्त हो चुकी है। अगले सत्र से पहले पुनः 28(17) के अन्तर्गत शिक्षकों की नियुक्ति की जावे।
- खेल शिक्षक एवं लाइब्रेरीयन की नियुक्ति भी पुनः 28(17) के अन्तर्गत की जावे।
- 20,000/- की पुस्तकें क्रय की जावे।
- 28(17) का पालन किया जावे।

आदेशानुसार  
3 मार्च 2012  
कुलसंचिव

### प्रति,

- प्राचार्य, जी.आर. मेडीकल कॉलेज, ग्वालियर
- अवर सचिव मध्यप्रदेश विकास शिक्षा विभाग, बल्लभ भवन, भोपाल।
- आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
- क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
- उप-कुलसंचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
- अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सहा.-कुलसंचिव (सम्बद्धता)

# जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समर्त पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी  
विश्वविद्यालय के नाम से है किंवा जारी व  
कि किसी अन्य पदाधिकारी के नाम से।  
उम्मेदित विषय पत्र यदि पूर्ण में पत्र  
व्यवहार कुंजा हो तो एवं क्रमांक एवं दिनांक  
अवश्य लिखा जाये जिससे स्पष्टिका हो।



ग्राम : दूधीपुरी  
दूरभाष : (0751) 2341896  
(0751) 2442829  
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :

कुलसचिव,  
जीवाजी विश्वविद्यालय  
ग्वालियर

क्रमांक:एफ/सम्बद्धता/2009/4532

दिनांक: 09/02/12

## // सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध जी.आर. मेडीकल कॉलेज, ग्वालियर (0751-2403400) को सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित/संबंधित एम.एस.-सी. (मेडीकल बायोकेमिस्ट्री), एवं डिप्लोमा इन डायलेसिस टेक्नीशियन), पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता हेतु अनुशंसाएँ प्रदान करने के लिये माननीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के परिनियम 27(10) के अन्तर्गत लिन्जानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है :-

- (1) प्रो. राजीव जैन, अधिष्ठाता महाविद्यालयीन विकास परिषद, जी.वि.वि. ग्वालियर। (संयोजक)  
(0751-2442828)
- (2) प्रो. बाय.के. जैसवाल, आचार्य, जैव रसायन अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर।
- (3) प्रो. नलिनी श्रीवारस्व, आचार्य, बायोकेमिस्ट्री अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिनियम 27/28 के ग्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर शुल्क, घरेहर राशि, वांछित शैक्षणिक/अशैक्षणिक स्टॉफ, प्राधिकृत संस्था से प्राप्त अनुमति/अबापत्ति प्रमाण-पत्र, भवन, झीड़ा परिसर एवं पाठ्यक्रम/आडिबेन्स तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ति मय प्रमाण पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की नियुक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसाएँ अंकित करें। महाविद्यालय प्राचार्य/अध्यक्ष सूचना पत्र प्राप्त होने के 30 दिवस के अन्दर निरीक्षण समिति संयोजक एवं सदस्यों से सम्पर्क स्थापित कर निरीक्षण करायें। समिति संयोजक से जिवेदन है कि वे उक्त निरीक्षण समय में निरीक्षण करें एवं प्रतिवेदन 07 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा करें। निरीक्षण प्रतिवेदन जमा करने का उत्तरदायित्व निरीक्षण समिति / संयोजक का होगा।

समिति गठन का पत्र प्राप्त होने के बाद निरीक्षण में की गई देरी के लिए महाविद्यालय स्वयं उत्तरदायी होगा। जिसकी सूचना आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल को भेज दी जावेगी। यदि महाविद्यालय 03 माह में निरीक्षण बही करता है तो समिति स्वतः निरस्त हो जावेगी और पुनः पुनः निरीक्षण समिति गव्वल हेतु महाविद्यालय को दण्ड स्वरूप रु. 25,000/- जमा करने होंगे। तत्पश्चात् ही निरीक्षण समिति का पुरुषजनक किया जायेगा। परिनियम 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए जिना छात्रों को प्रवेश देना अवैधानिक है।

निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाझा में कार्यालय अधीक्षक / कार्यालय सहायक प्राचारली लेकर जावेंगे तथा महाविद्यालय की वर्तुलियति से निरीक्षण समिति को अवगत करायेंगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों को टी.ए. / डी.ए. / मानदेव महाविद्यालय द्वारा देने होंगे।

प्रतिलिपि :-

1. समर्त सदस्यों की ओर सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यालयी हेतु।
2. प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण दिनांक निर्धारित कर महाविद्यालय का निरीक्षण कराएं। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
3. आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुड़ा भवन, भोपाल
4. कुलाधिसचिव, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
5. कुलपति के सचिव / कुलसचिव के निजी सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

अ.   
सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)